माननीय जे. एस. सेखों और अमरजीत चौधरी, जे. जे. के समक्ष

हरियाणा राज्य जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बोर्ड, चंडीगढ़ -अपीलार्थी।

बनाम

मेसर्स भारत कार्पेट्स लिमिटेड, फरीदाबाद, हरियाणा और *अन्य.* *-उत्तरदाता।*

Criminal Appeal No. 585-DBA of 1987

8अप्रैल, 1992।

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974-धारा. *43,* 44 और *41-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974* का *11)-धारा 249-कंपनी* द्वारा *किया* गया *अपराध-अपशिष्ट का निर्वहन-शिकायत - आरोप तय किया गया-इसके बाद शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है- यदि व्यक्ति कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के संचालन* के लिए जिम्मेदार नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

अभिनिर्धारित किया कि जब आरोप पहले ही तैयार किया जा चुका है, तो शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में में शिकायतकर्ता को खारिज नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 9)

अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर साक्ष्य और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के प्रावधान को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों प्रतिवादियों को कोई अपराध करने वाला नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वे कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं थे और इस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

(पैरा 11)

श्री आर. के. कश्यप, एच. सी. एस., न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद के न्यायालय के दिनांक 3 अगस्त, 1987 के अभियुक्त *को बरी करने वाले* आदेश *से अपील।,*

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) *अधिनियम, 1974 की खंड 43 और 44 के तहत* आरोप।

अपीलकर्ता की ओर *से अधिवक्ता रामेश्वर मलिक।*

आर. के. छिब्बर, वरिष्ठ अधिवक्ता, (उनके साथ आनंद छिब्बर अधिवक्ता) एम. एम. चौधरी, अधिवक्ता, *प्रतिवादी संख्या 1* के लिए।

निर्णय

अमरजीत चौधरी, जे.

जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हरियाणा राज्य बोर्ड, चंडीगढ़ (जिसे इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया गया है) ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद, दिनांक 3 अगस्त, *1987* के आदेश को चुनौती दी है-जिसके अनुसार बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा43 और 44 के तहत प्रतिवादी 2 और 5 के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज करने में चूक की है।

(2) तथ्य इस प्रकार है कि 5 मार्च, 1981 को अपीलकर्ता-बोर्ड के सहायक पर्यावरण इंजीनियर श्री अजीत कुमार ने तत्कालीन पर्यावरण इंजीनियर आर. पी. मिश्रा के साथ मैसर्स भारत कार्पेट्स लिमिटेड, गुरुकुल औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) के परिसर का दौरा किया। आउटलेट से नमूना आर. पी. मिश्रा द्वारा एकत्र किया गया था। कथित नमूना अभियुक्त पी. पी. गुप्ता की उपस्थिति में लिया गया और आर. पी. मिश्रा द्वारा हस्ताक्षर किए गए। नमूने को जांच के लिए भेजा गया है। विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार यह स्पष्ट था कि जो अपशिष्ट अभियुक्तों द्वारा उत्सर्जित किया जा रहा था वह देश में निर्धारित आई. एस. आई. मानक के भीतर नहीं था। सभी मापदंड अधिक थे और निर्धारित मानकों अर्थात आई. एस. आई. मानक का उल्लंघन कर रहे थे। बोर्ड। बोर्ड ने 31 अक्टूबर, 1981 को अधिनियम की धारा 43 और 44 के तहत एक अनुपालन दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद के न्यायालय में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (संक्षेप में एओटी)। निम्नलिखित व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी:—

1. मेसर्स भारत कार्पेट्स लिमिटेड, गुरुकुल औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद।
2. श्री एस. एन. सी.बख्शी सी/ओ मेसर्स भारत कार्पेट्स लिमिटेड, गुरुकुल औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद।
3. श्री बी. एन. गुप्ता, प्रबंध निदेशक मेसर्स भारत कार्पेट्स लिमिटेड, गुरुकुल औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद।
4. श्री एम. एल. खेतान, अध्यक्ष, मेसर्स भारत कार्पेट्स लिमिटेड, गुरुकुल औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद।
5. श्री डी. पी. गुप्ता, उत्पादन अधिकारी, मेसर्स भारत कार्पेट्स लिमिटेड, गुरुकुल औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद (हरियाणा)।

अभियुक्तों को अदालत ने तलब किया था।

(3) बोर्ड ने अपने मामले के समर्थन में शिकायतकर्ता बोर्ड के क्लर्क जसबीर सिंह पी. डब्ल्यू. 1, अजीत कुमार पी. डब्ल्यू. 2 और आर. पी. मिश्रा, सहायक पर्यावरण अभियंता, पी. डब्ल्यू. 3, को गवाह बनाया था।

(4) बचाव पक्ष में जगदीश लाल नंदा डी. डब्ल्यू. 1 और राम गोपाल शर्मा डी. डब्ल्यू.-2 की गवाही की गई। अभियुक्त डी. पी. गुप्ता और एस. एन. सी. बख्शी के बयान भी दर्ज किए गए। 3 अगस्त, 1987 को प्रथम श्रेणी के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया, क्योंकि शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ था। नतीजतन, आरोपी नo, 2 और 5 को बरी कर दिया गया। अभियुक्त के दोषमुक्ति के खिलाफ बोर्ड ने वर्तमान अपील दायर की है।

(5) अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किया गया था, शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है।

(6) न्यायालय को यह सूचित किया गया है कि दाण्डिक अपील की विचाराधीनता के दौरान प्रतिवादी सं.1 बी.. एन. गुप्ता, प्रबंध निदेशक और प्रतिवादी सं.4 एम. डी. खेतान, अध्यक्ष कंपनी. का देहांत हो गया । के. के. छिडबर, वरिष्ठ अधिवक्ता *ने* तर्क दिया कि इन दोनों के विरुद्ध अपील समाप्त हो गई है। छिब्बर ने आगे तर्क दिया कि . जे. एन. सी. बख्शी प्रतिवादी संख्या 2 और डी. पी. गुप्ता, प्रतिवादी संख्या 5, कंपनी के छोटे कार्यकर्ता थे और वे कंपनी के दिन-प्रतिदिन *के* व्यवसाय में शामिल नहीं थे और इस तरह उनके विरुद्ध अपील भी खारिज किए जाने के योग्य हैं।

(7) इस स्थिति का सामना करते हुए, अपीलकर्ता-बोर्ड के वकील श्री रामेश्वर मलिक ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अनुसार, जहां किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी का प्रभारी था, और कंपनी के साथ-साथ कंपनी के अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

(8) हमने पार्टियों के वकील की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और पेपर-बुक का अध्ययन किया है।

(9) हम अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों में बल पाते हैं, लेकिन प्रतिवादी के लिए वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर भी विचार करने की आवश्यकता होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 249 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब किसी शिकायत पर कार्यवाही शुरू की जाती है और मेरे लिए निर्धारित दिन पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित होता है तो मजिस्ट्रेट आरोप तय होने से पहले अभियुक्त को आरोपमुक्त कर सकता है। "आरोप तय होने से पहले" शब्द पर जोर दिया जाता है।" इस मामले में आरोप पहले ही तैयार किया जा चुका था और इस

तरह शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में में शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता था।

(10) यह धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज विवरण में आया है कि डी. डब्ल्यू.-2, एस. एन. सी. बख्शी प्रासंगिक समय पर कंपनी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी थे और यह गलत है कि कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय पर उनका कोई नियंत्रण या संबंध था।राम गोपाल शर्मा के अनुसार, डी. डब्ल्यू.-2, एस. एन. सी. बख्शी कंपनी में एक प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी थे।जिरह में उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि डी. पी. गुप्ता कारखाने में परिष्करण और पैकिंग प्रभारी नहीं थे।डी. पी. गुप्ता ने खंड 313 Cr.P.C के तहत अपने बयान में यह भी कहा कि 5 मार्च, 1981 को अजीत कुमार और आर. पी. मिश्रा द्वारा कंपनी के निरीक्षण के समय उन्हें केवल कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया और उन्होंने उन्हें बताया कि वह कंपनी के प्रबंधक नहीं हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया गया कि केवल एक नियमित रूप से नमूना एकत्र किया जा रहा है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं लिया जा रहा है।

(11)किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचने द्वारा पहले, अधिनियम की धारा 47 और उसके तहत परंतुक के प्रावधानों को देखना सार्थक होगा जो इस प्रकार हैः—

> "जहाँ इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था, और कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगाः
>
> बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसा अपराध करने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।"

इस प्रकार अधिनियम की धारा 47 के अभिलेख और परंतुक पर साक्ष्य इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि एस. एन. सी. बख्शी और डी. पी. गुप्ता जैसे प्रतिवादी में से किसी ने भी कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वे कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं थे और इस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

(12)अधिनियम की धारा 47 विदेशी मुद्रा और विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 23 (सी) और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 34 के समान है।**कर्नाटक राज्य बनाम *प्रताप चंद और* अन्य**[1] *के मामले में,* यह अभिनिर्धारित किया गया था कि औषधि और प्रसाधन अधिनियम की धारा 18 (ए) (ii) और (सी) के तहत अपराध के लिए आरोपित एक साझेदारी फर्म, फर्म का भागीदार जो अकेले फर्म के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के समग्र नियंत्रण

[1] A.I.R. 1981 S.C. 872

में था, दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी होगा और जो भागीदार इस तरह के नियंत्रण में नहीं था, उसके साथ केवल इसलिए कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि उसके पास साझेदारी विलेख की शर्तों के तहत फर्म के व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार *था।* ***जी. एल. गुप्ता*** **बनाम डी. एन. *मेहता***[2] में, यह निम्नानुसार बताया गया थाः—

> ""एक कंपनी के मामलों के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है?
>
> यह ध्यान दिया जाएगा कि 'कंपनी' शब्द में एक फर्म या अन्य संघ शामिल है और यही परीक्षण एक निदेशक प्रभारी और एक व्यवसाय के प्रभारी फर्म के भागीदार पर लागू होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में एक व्यक्ति 'प्रभारी' का अर्थ यह होना चाहिए कि व्यक्ति को कंपनी या फर्म के आज के व्यवसाय के सभी नियंत्रण में होना चाहिए। यह निष्कर्ष धारा 23 सी (2) के शब्दों से मिलता है। इसमें निदेशक का उल्लेख है, जो किसी कंपनी द्वारा अपनाई जा रही नीति का एक पक्ष हो सकता है और फिर भी कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी नहीं हो सकता है। इसके अलावा इसमें प्रबंधक का उल्लेख किया गया है, जो आमतौर पर व्यवसाय का प्रभारी होता है लेकिन पूरे प्रभार में नहीं होता है। इसी तरह, अन्य अधिकारी व्यवसाय के केवल कुछ हिस्से के प्रभारी हो सकते हैं।

(13) उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान मामले में साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कंपनी के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष, जो कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के सभी नियंत्रण में थे उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं और ना कि एस. एन. सी. बख्शी और डी. पी. गुप्ता क्योंकि न तो वे कंपनी के प्रभारी थे और न ही कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय से परिचित थे।

(14) मामले के सभी पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह अपील विफल हो जाती है और इसे एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

[2] A.I.R. 1971 S.C, 28

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

विनीत कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाण।